

अनुबंध III

ग्राहक केंद्रित उपाय¹: अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक

वर्ष	तिथि	विषय
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग		
2022- 23	-	सीएफएल परियोजना का विस्तार - अतिरिक्त 362 सीएफएल स्थापित किए गए।
	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 60 टाउन हॉल मीटिंग आयोजित की गईं, जिनसे लगभग 5,784 उद्यमियों को लाभ मिला।
2023-24	-	सीएफएल परियोजना का विस्तार - अतिरिक्त 952 सीएफएल स्थापित किए गए।
	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 60 टाउन हॉल मीटिंग आयोजित की गईं, जिनसे लगभग 6,352 उद्यमियों को लाभ मिला।
2024-25	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 33 टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं, जिनसे लगभग 3,162 उद्यमी लाभान्वित हुए।
	11 जून 2024	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को निदेश जारी किए गए कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यम उधारकर्ताओं के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 14 दिनों का एक समान टर्नअराउंड समय (टीएटी) रखें।
	6 दिसंबर 2024	प्रति उधारकर्ता संपार्षिक मुक्त कृषि ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग		
2022- 23	7 सितंबर 2022	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी संस्थाओं की एक 'अलर्ट सूची' जारी की गई जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। 'अलर्ट सूची' के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को अपडेट किया गया।
	10 फरवरी 2023	उन संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' जारी की गई, जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
2023- 24	7 जून 2023	उन संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' जारी की गई, जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
	24 नवंबर 2023	उन संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' जारी की गई, जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
	3 जनवरी 2024	विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक रूपरेखा की समीक्षा की गई और सभी प्रकार के लेनदेन के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को समेकित करते हुए संशोधित निदेश जारी किए गए।
2024-25	24 अप्रैल 2024	प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) श्रेणी-1 बैंकों को सूचित किया गया कि वे अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार में बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक सतर्क रहें और अधिक सावधानी बरतें तथा अपने ग्राहकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एडवायजरी और 'अलर्ट सूची' के बारे में अवगत कराएं।
	22 अक्टूबर 2024	उन संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' को अद्यतन किया गया, जो न तो फेमा, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

¹ मौजूदा दिशानिर्देशों में नए उपायों के साथ-साथ संशोधन/परिवर्तन भी शामिल करें।

ग्राहक केंद्रित उपाय

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	7 फरवरी 2025	सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में खुदरा भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, मोलभाव सौदा प्रणालियों में एक नई सुविधा, यानी (स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट) शुरू की गई जो ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म - जी-सेक में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। इस सुविधा के तहत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों को अपने व्यक्तिगत इकाईयों / ग्राहकों की ओर से सीधे एनडीएस-ओएम तक पहुंच की अनुमति दी गई है।
विदेशी मुद्रा विभाग		
2022- 23	19 मई 2022	श्रीलंका से निर्यात आय प्राप्त करने में निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के बाहर भारतीय रुपये (आईएनआर) में निपटाया जा सकता है।
	25 मई 2022	पात्र आभूषण विक्रेताओं (आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण आयात करने की अनुमति दी गई और इसके लिए प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों के माध्यम से अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दी गई।
	6 जुलाई 2022	भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह को उदार बनाने के उपायों के तहत, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) स्वचालित मार्ग के तहत उधार सीमा को प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। इसके अलावा, ईसीबी रूपरेखा के तहत कुल लागत सीमा को भी 100 बीपीएस तक बढ़ा दिया गया, बशर्ते उधारकर्ता निवेश ग्रेड रेटिंग का हो। ये उपाय 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी थे।
	8 जुलाई 2022	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया कि श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन का निपटान अगली सूचना तक एसीयू तंत्र के बाहर किसी भी अनुमत मुद्रा में किया जाएगा।
	11 जुलाई 2022	भारत से निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने और सीमा-पार लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, एडी बैंकों में विदेशी संपर्क बैंक/ बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खातों के उपयोग के माध्यम से भारतीय रुपये में निर्यात/ आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था प्रदान की गई थी।
	22 अगस्त 2022	व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने और टर्नअराउंड समय (टीएटी) को कम करने के लिए, विदेशी निवेश लेनदेन की रिपोर्टिंग में देरी को विनियमित करने के लिए विलंबित प्रस्तुतिकरण शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा शुरू की गई थी।
	15 सितंबर 2022	अनिवासी विनिमय निकायों के साथ रुपया आहरण करार (आरडीए) वाले एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्राप्त विदेशी आवक प्रेषण को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के किसी भी बैंक खाते में जमा करने की अनुमति दी गई।
	30 सितंबर 2022	कारोबार में आसानी के लिए, सभी लेनदेन से संबंधित देरी की रिपोर्टिंग हेतु एलएसएफ का निर्धारण करने के लिए एक सरल और समान गणना प्रणाली रखने का निर्णय लिया गया।
	5 जनवरी 2023	विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (एफआईआरएमएस) - भारत में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के लिए एप्लिकेशन - को नवीकृत किया गया। एफआईआरएमएस के नए संस्करण ने कई हितधारकों द्वारा लेनदेन की एक साथ फाइलिंग की अनुमति देकर विदेशी निवेश की निर्बाध रिपोर्टिंग को संभव बनाया, अनुमोदन प्रक्रिया के लिए टीएटी को कम किया और एलएसएफ की स्वचालित गणना की।
2023-24	6 अप्रैल 2023	पूर्ण धन परिवर्तकों (एफएफएमसी), गैर-बैंक एडी श्रेणी-II के लाइसेंस के लिए आवेदन निपटाने, धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) एजेंट के रूप में प्राधिकार देने, मौजूदा लाइसेंस/ प्राधिकार के नवीकरण करने, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने और एफएफएमसी और गैर-बैंक एडी श्रेणी-II द्वारा विभिन्न विवरण/ विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए 'एपी- कनेक्ट' नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित और शुरू किया गया।

वर्ष	तिथि	विषय
2023-24	12 अप्रैल 2023	एडी श्रेणी-II निकायों को 'फार्म ए2' ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी ताकि वे व्यक्तियों के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर (अथवा इसके समतुल्य) तथा कारपोरेट के लिए 1,00,000 अमरीकी डॉलर (अथवा इसके समतुल्य) की ऊपरी सीमा वाले लेन-देनों के लिए 'फार्म ए2' का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण स्वीकार कर सकें।
	26 अप्रैल 2023	उदारीकृत धन-प्रेषण योजना (एलआरएस) के लिए आईएफएससी में निवासी व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा खाते (एफसीए) में बेकार पड़ी किसी भी निधि को इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों तक की अवधि के लिए प्रत्यावर्तित करने की शर्त को बदल दिया गया और सामान्य रूप से सभी न्यायालयों के लिए एलआरएस पर मास्टर निदेश में निहित योजना के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया।
	9 मई 2023	प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को सूचित करते हुए अनुदेश जारी किए गए थे कि फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, आदि पर भारत में देय शुल्क/ प्रभार केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित और निपटाए जाने चाहिए, क्योंकि प्राधिकृत व्यक्ति और निवासियों के बीच ये लेनदेन अनिवार्य रूप से दो निवासियों के बीच घरेलू लेनदेन थे।
	12 मई 2023	कारोबार में सहजता को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी निवेश से संबंधित रिपोर्टिंग में देरी के लिए एलएसएफ के भुगतान को, डिमांड ड्राफ्ट मोड के अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) जैसे ऑनलाइन भुगतान विधि के माध्यम से संभव किया गया। इसी तरह विदेशी निवेश लेनदेन के लिए एलएसएफ के भुगतान के लिए एनईएफटी/ आरटीजीएस, जैसे ऑनलाइन भुगतान विधि 19 जून 2023 से सक्रिय किए गए।
	22 जून 2023	आईएफएससी को एलआरएस धन-प्रेषण की अनुमति केवल प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए दी गई। भारत सरकार ने 23 मई 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के पाठ्यक्रमों को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया था। तदनुसार, 22 जून 2023 से, आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के लिए निवासी व्यक्तियों द्वारा धन-प्रेषण को परिभाषित उद्देश्य 'विदेश में अध्ययन' के लिए एलआरएस के तहत सक्रिय किया गया।
	10 नवंबर 2023	डीजीएफटी की अधिसूचना के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, पात्र ज्वैलर्स को आईआईबीएक्स के माध्यम से चांदी के आयात के लिए 11 दिनों के अग्रिम भुगतान की अनुमति दे सकते हैं।
	17 नवंबर 2023	बैंकों द्वारा चालू खाते और नकद ऋण (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाते खोलने के संबंध में दिनांक 19 अप्रैल 2022 के परिपत्र- डीओआर.सीआरई.आरईसी.23/21.08.008/2022-23 के पैरा 4.1 के अनुसार और निर्यातकों को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से वास्ट्रो खाता रखने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को अपने निर्यातक घटकों के लिए विशेष रूप से उनके निर्यात लेनदेन के निपटान हेतु एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति दी गई।
	31 जनवरी 2024	आईएफएससी द्वारा अधिसूचित भारत-यूई बृहत् आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा स्वर्ण आयात के लिए 11 दिनों की अग्रिम भुगतान की अनुमति देने के दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
2024-25	24 अप्रैल 2024	भारतीय निवासियों को असंगत/अत्यधिक रिटर्न के वादे के साथ विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाली अनधिकृत संस्थाओं से बचने के लिए, एडी श्रेणी-I बैंकों को इस संबंध में अधिक सतर्क रहने और अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई और ऐसे लेनदेन को आगे की कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार के ध्यान में लाने के लिए कहा गया था।
	6 मई 2024	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) विनियम, 2016 में संशोधन करके भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति (पीआरओआई) को भारत में मार्जिन पोस्ट करने और एकत्र करने के उद्देश्य से भारतीय रुपए और/या विदेशी मुद्रा में ब्याजफल खाता (इंटरैस्ट बीयरिंग अकाउंट) खोलने, रखने और रखरखाव की अनुमति दी गई, जो मौजूदा विनियमों के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अनुमत डेरीवेटिव कांटेक्ट के लिए है।

ग्राहक केंद्रित उपाय

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	27 मई 2024	अनुमत मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह सूचित किया गया कि 1 जुलाई 2024 से, एफएफएमसी/गैर-बैंक एडी श्रेणी- II द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए जनता को बेचे गए विदेशी मुद्रा नोटों का मूल्य तिमाही आधार पर अन्य एफएफएमसी/एडी से खरीदे गए विदेशी मुद्रा नोटों के मूल्य के 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
	11 जून 2024	परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (अपने घटकों के लिए) द्वारा अपने निर्यात के साथ-साथ आयात लेनदेन के निपटान के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है।
	3 जुलाई 2024	कारोबार में आसानी को बेहतर बनाने के लिए, एडी को फॉर्म ए2 और अन्य संबंधित दस्तावेजों के ऑनलाइन/भौतिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई, जो कि फेमा, 1999 की धारा 10(5) के अधीन है। तदनुसार, «ऑनलाइन» फॉर्म ए2 के आधार पर विप्रेषित की जाने वाली राशि की सीमा हटा दी गई। इसके अलावा, एडी बैंकों को लेनदेन के मूल्य से निरपेक्ष होकर सभी सीमा-पार विप्रेषणों के लिए भौतिक या डिजिटल रूप में फॉर्म ए2 प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
	10 जुलाई 2024	प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को आईएफएससी के भीतर आईएफएससी अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाने के लिए एलआरएस के तहत आईएफएससी को सभी स्वीकार्य उद्देश्यों के लिए धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, उन्हें आईएफएससी में रखे गए विदेशी मुद्रा खाते (एफसीए) के माध्यम से किसी भी अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार में सभी चालू या पूंजी खाता लेनदेन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई।
	1 अक्टूबर 2024	विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 ('नए नियम') को भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से 12 सितंबर 2024 को अधिसूचित किया गया। तदनुसार, पहले के परिपत्रों के तहत जारी निर्देशों की समीक्षा की गई और प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए शमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
	11 नवंबर 2024	रिजर्व बैंक ने (भारत सरकार और सेबी के परामर्श से) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋणोत्तर लिखत) नियम, 2019 के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। इस रूपरेखा के अनुसार, किसी भी संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा (पूरी तरह से अवमिश्रण के आधार पर कुल चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत) के किसी भी उल्लंघन के मामले में, उनके पास अपनी होल्डिंग्स को बेचने के पहले के विकल्प के अलावा एफडीआई के रूप में ऐसी होल्डिंग्स को पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प होगा।
	14 जनवरी 2025	<ul style="list-style-type: none"> विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) विनियम, 2016 में संशोधन किया गया, ताकि पीआरओआई (बैंकों के अलावा) को एडी बैंकों की विदेशी शाखाओं में भारतीय रुपया (आईएनआर) खाते खोलने की अनुमति दी जा सके। संशोधन के अनुसार, भारत में रहने वाले व्यक्तियों (पीआरआई) के साथ सभी चालू और अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन और अन्य पीआरओआई के साथ सभी लेनदेन को विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर) के माध्यम से निपटाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, प्रत्यावर्तनीय आईएनआर खातों [एसएनआरआर/विशेष रुपया वास्ट्रो खाता (एसआरवीए)/अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाता/वास्ट्रो खाता] के बीच अंतरण की भी अनुमति दी गई। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान की विधि और ऋणोत्तर लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 में संशोधन किया गया, ताकि एसएनआरआर खातों से किए गए भुगतानों का उपयोग एफडीआई सहित विदेशी निवेश करने के लिए किया जा सके और एसआरवीए में निधियों का उपयोग भारत में विदेशी निवेश करने के लिए किया जा सके। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2015 में संशोधन किया गया, ताकि सभी निवासी निर्यातकों को व्यापार लेनदेन निपटाने के लिए विदेशों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी जा सके, बशर्ते लागू समायोजन और प्रत्यावर्तन प्रावधानों को सुनिश्चित किया जा सके। यह स्पष्ट किया गया कि स्थानीय मुद्राओं में भुगतान प्राप्त करने वाले निर्यातक उस क्षेत्र से आयात के भुगतान के लिए इन मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं।

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	10 फरवरी 2025	बाह्य व्यापार और भुगतान / प्राप्ति विनियमों को एसीयू करार के साथ संरेखित करने की सुविधा के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान विधि) विनियम, 2023 में संशोधन किया गया, ताकि भुगतान / प्राप्ति को एसीयू तंत्र के माध्यम से केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सके जब वे एसीयू सदस्य देशों के क्षेत्र में दो निवासियों के बीच हों।
	17 मार्च 2025	नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं, यानी भारतीय रुपये और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, मालदीव के साथ द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन का निपटान, एसीयू तंत्र के अलावा स्थानीय मुद्राओं में करने की अनुमति दी गई।
विनियमन विभाग		
2022-23	7 अप्रैल 2022	बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल बुनियादी रूपरेखा की उपलब्धता में सुधार लाने और डिजिटल वित्तीय समावेशन और शिक्षण को सघन बनाने के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, रिजर्व बैंक द्वारा 'डिजिटल बैंकिंग इकाइयों' (डीबीयू) की अवधारणा पेश की गई थी।
	21 अप्रैल 2022	मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश पर मास्टर निदेश जारी किया गया (1 जुलाई 2022 से प्रभावी)।
	8 जून 2022	रिजर्व बैंक ने पात्र शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को 'बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - डोरस्टेप बैंकिंग' पर परिपत्र जारी करके अपने ग्राहकों को 'डोरस्टेप बैंकिंग' सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी।
	12 अगस्त 2022	विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा नियोजित एजेंटों की गतिविधियों से उत्पन्न चिंताओं के मद्देनजर, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विनियमित संस्थाएं यह सख्ती से सुनिश्चित करें कि वे या उनके एजेंट बकाया ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद फोन करने सहित किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें।
	2 सितंबर 2022	रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि प्रौद्योगिकी के लाभों का टिकाऊ और व्यवस्थित तरीके लाभ उठाया जाए।
	5 जनवरी 2023	अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) [पुनः केवाईसी] के आवधिक अद्यतनीकरण के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई।
2023-24	28 अप्रैल 2023	<ul style="list-style-type: none"> अद्यतन / आवधिक अद्यतन – अप्रत्यक्ष मोड में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी को ग्राहक द्वारा केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। एकल स्वामित्व वाली फर्म की ग्राहक समुचित सावधानी प्रक्रिया (सीडीडी) - केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन के माध्यम से सीडीडी प्रक्रिया के लिए एकल स्वामित्व वाली फर्म के मामले में गतिविधि के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की सूची में उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (यूआरसी) को शामिल किया गया है।
	17 अगस्त 2023	जमाकर्ताओं को विभिन्न बैंकों में अपनी अदावाकृत जमाराशियों को आसानी से और एक ही स्थान पर खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए तथा जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता (डीईए) निधि समिति के निर्देशों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल यूडीजीएम - सूचना तक पहुंच के लिए अदावाकृत जमाराशियों का गेटवे - विकसित किया है।
	18 अगस्त 2023	<ul style="list-style-type: none"> 'समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित वैयक्तिक ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर का पुनर्निर्धारण' विषय पर परिपत्र जारी किया गया, जिसका उद्देश्य आरई में उचित आचार रूपरेखा और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था।

ग्राहक केंद्रित उपाय

वर्ष	तिथि	विषय
2023-24	18 अगस्त 2023	<ul style="list-style-type: none"> 'उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में जुर्माना' पर परिपत्र जारी किया गया, जो उचित और पारदर्शी तरीके से जुर्माना लगाने के संबंध में एक स्पष्ट आचार रूपरेखा को अनिवार्य बनाता है।
	13 सितंबर 2023	विनियमित संस्थाओं के बीच दायित्वपूर्ण उधार आचार को बढ़ावा देने के लिए 'दायित्वपूर्ण उधार आचार - व्यक्तिगत ऋणों का पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना' विषय पर परिपत्र जारी किया गया।
	26 अक्टूबर 2023	<ul style="list-style-type: none"> क्रेडिट सूचना के विलंबित अद्यतन/सुधार पर ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसके तहत शिकायतकर्ता को प्रति कैलेंडर दिन ₹100 का मुआवजा मिलेगा यदि उनकी शिकायत का समाधान शिकायत दर्ज करने की तिथि से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है। शिकायत निवारण तंत्र की प्रभाविता में सुधार करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए, विभिन्न प्रयास किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट सूचना के विलंबित अद्यतन/सुधार के लिए मुआवजा तंत्र और ग्राहकों को उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) तक पहुंच के बारे में एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित करना या सीआई द्वारा सीआईसी को डिफॉल्ट होने सूचना को रिपोर्ट करना शामिल है।
	1 जनवरी 2024	बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावाकृत जमाराशियाँ परिपत्र पर संशोधित निदेश जारी किए गए।
	2 फरवरी 2024	केवाईसी अद्यतन के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई।
	7 मार्च 2024	'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और संचालन संबंधी निदेश, 2022' पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया, जिससे उपभोक्ता संरक्षण उपायों को और मजबूत किया गया। सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस विषय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जारी किए गए।
	-	आम जनता में अकाउंट एग्रीगेटर (एए) के बारे में जागरूकता लाने के लिए मीडिया मिक्स के माध्यम से एए सुविधा के लिए जन जागरूकता अभियान आयोजित किए गए।
	-	जनता को निम्नलिखित विषयों पर शिक्षित करने के लिए टेलीविजन के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाए गए: (i) कागज रहित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए केंद्रीय अपने ग्राहक को जानें रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग; (ii) पुनः केवाईसी के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प; और (iii) ग्राहक खातों का म्यूल खाते के रूप में दुरुपयोग होने से रोकना।
2024-25	15 अप्रैल 2024	ऋण और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) : पारदर्शिता बढ़ाने और विनियमित संस्थाओं द्वारा पेश किए जा रहे वित्तीय उत्पादों पर सूचना विषमता को कम करने और उधारकर्ताओं को संसूचित वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए, 15 अप्रैल 2024 को एक सुसंगत परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें विनियमित संस्थाओं को सभी खुदरा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के सावधि ऋणों के संबंध में भावी उधारकर्ताओं को केएफएस प्रदान करने की सलाह दी गई है।
	8 अगस्त 2024	क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सूचना रिपोर्टों में अधिक वर्तमान जानकारी को प्रतिबिंबित करने के लिए, क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा सीआईसी को क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग की आवृत्ति को 1 जनवरी 2025 से मासिक से बढ़ाकर पाक्षिक या उससे कम अंतराल कर दिया गया है।
	10 अक्टूबर 2024	क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआए) के अनुसार केवल सीआई ही सीआईसी को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। जब किसी विनियमित इकाई का लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रिजर्व बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो उसे अब सीआई नहीं माना जाता है और इस प्रकार वह अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी सीआईसी को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उधारकर्ताओं के चुकौती इतिहास में अंतराल आ जाता है। ऐसी संस्थाओं के उधारकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए, लाइसेंस/सीओआर के निरस्त होने के बाद क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग तंत्र निर्धारित किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	6 नवंबर 2024	केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पहचानकर्ता को केवाईसी और पुनः केवाईसी उद्देश्यों के लिए पहला आधार बनाया गया है, इस प्रकार केवाईसी प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक और कागज़ रहित बनाया गया है।
फिनटेक विभाग		
2022-23	6 जून 2022	विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे समूह के लिए एप्लिकेशन विंडो खोलने की घोषणा की गई जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन'।
	2 सितंबर 2022	भारत में ग्रामीण वित्त का डिजिटलीकरण - रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र के सहयोग से विकसित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के लिए प्रारम्भिक परियोजना शुरू की गई।
	7 अक्टूबर 2022	'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पर अवधारणा नोट' जारी किया गया।
	29 नवंबर 2022	सीबीडीसी का संचालन - सीबीडीसी - खुदरा (e₹-आर) के लिए प्रारम्भिक परियोजना 1 दिसंबर 2022 को आरम्भ की गई।
	14 फरवरी 2023	'समावेशी डिजिटल सेवाएं' थीम के साथ दूसरा वैश्विक हैकार्थॉन - हार्बिंगर 2023 - आरम्भ किया गया।
2023-24	14 अगस्त 2023	निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म की प्रारम्भिक परियोजना 17 अगस्त 2023 को शुरू की गई।
	27 अक्टूबर 2023	आरएस के तहत पांचवें समूह के लिए एप्लिकेशन विंडो खोलने की घोषणा की गई जो थीम न्यूट्रल था।
	28 फरवरी 2024	आरएस के लिए सक्षमकर रूपरेखा में संशोधन किया गया।
2024-25	28 मई 2024	'फिनटेक रिपोजिटरी' और 'एमटेक रिपोजिटरी' शुरू किए गए। रिपोजिटरी समग्र क्षेत्रीय स्तर के डेटा, रुझान, विश्लेषण, आदि की उपलब्धता को सक्रिय करेंगे, जो नीति निर्माताओं और भाग लेने वाले उद्योग के सदस्यों दोनों के लिए उपयोगी होंगे।
	30 मई 2024	रिज़र्व बैंक ने 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए रूपरेखा' (एसआरओ-एफटी रूपरेखा) प्रकाशित की।
	7 जून 2024	तीसरा वैश्विक हैकार्थॉन - हार्बिंगर 2024 - 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग प्रिय' थीम के साथ शुरू किया गया।
	28 अगस्त 2024	फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफएसीई) को फिनटेक क्षेत्र में एसआरओ के रूप में मान्यता दी गई।
	26 दिसंबर 2024	वित्तीय क्षेत्र में 'कृत्रिम मेधा के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा (फ्री-एआई)' विकसित करने हेतु एक समिति गठित करने की घोषणा की गई।
पर्यवेक्षण विभाग		
2023-24	10 अप्रैल 2023	'सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग' पर मास्टर निदेश जारी किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था, ग्राहक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते समय आरई ग्राहकों के प्रति अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन में, बाधा नहीं बनेगी।
	7 नवंबर 2023	'सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं' पर मास्टर निदेश जारी किया गया। मास्टर निदेश के अनुसार, ग्राहकों को सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संगठन में पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता होती है।
2024-25	29 अप्रैल 2024	ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, तथा ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में विनियमित संस्थाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 'ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता - ब्याज वसूलना' विषय पर दिशानिर्देश जारी किए।

ग्राहक केंद्रित उपाय

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	24 अक्तूबर 2024	बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के लिए सेमिनार आयोजित किए गए, ताकि साइबर-सक्षम धोखाधड़ी और मनी म्यूल को विफल करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके और धोखाधड़ी के प्रकारों, साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता प्रथाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए चल रहे जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।
	2 दिसंबर 2024	वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निष्क्रिय/जमा खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने, ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने तथा निष्क्रिय/जमा खातों को सक्रिय करने की सुविधा के लिए विशेष अभियान आयोजित करने की सलाह दी गई थी।
	17 जनवरी 2025	जमाराशि स्वीकार करने वाली पर्यवेक्षित संस्थाओं को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें जमा खाते, अभिरक्षित वस्तुएं और सुरक्षा लॉकर रखने वाले सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के मामले में नामांकन प्राप्त करने की आवश्यकता को दोहराया गया। ग्राहकों को सीधे सूचित करने के अलावा, उन्हें विभिन्न मीडिया के माध्यम से नामांकन सुविधा का उपयोग करने के लाभों को प्रचारित करने की भी सलाह दी गई थी, जिसमें सभी पात्र ग्राहक खातों की पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए आवधिक अभियान शुरू करना शामिल था।
उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग		
2022-23	-	आरबीआई लोकपाल कार्यालय (ओआरबीआईओ) से संपर्क करने वाले शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि-स्तर का आकलन करने के लिए संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया।
	6 अक्तूबर 2022	सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) तंत्र की दक्षता को मजबूत करने और सुधारने के लिए, आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र को सीआईसी तक विस्तारित किया गया।
	-	संपर्क केंद्र के इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) पर दी जाने वाली जानकारी में सुधार किया गया, जिससे 24x7 सहायता प्राप्त हुई। संपर्क केंद्र पर पंजाबी (6 जनवरी 2022 से) और असमिया (21 जून 2022 से) में कॉल सहायता जोड़कर विस्तारित भाषा सहायता प्रदान की गई, जिससे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में कॉल सहायता की उपलब्धता बढ़ गई।
	-	सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, रिजर्व बैंक की वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) प्रणाली और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए मौजूदा विनियमों पर वित्तीय उपभोक्ता जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए एक अखिल भारतीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' के मद्देनजर एक बहु-चरणीय, बहुआयामी वित्तीय जागरूकता अभियान के रूप में चलाया गया था और इसमें तीन चरण शामिल थे- लोकपाल कहता है कार्यक्रम; शीर्ष प्रबंधन द्वारा वार्ता; और एक महीने तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी)।
	-	वित्तीय धोखाधड़ी के तौर-तरीकों की झलक दिखाने और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, इस बारे में सरल सुझाव देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 'राजू और चालीस चोर' नामक पुस्तिका जारी की गई। यह पुस्तिका कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।
	15 मार्च 2023	'लोकपाल कहता है' कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया।
2023-24	1 अप्रैल 2023	देश के अन्य राज्यों में आरबीआई लोकपाल के कार्यालयों की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए शिमला में आरबीआई लोकपाल का एक नया कार्यालय स्थापित किया गया था।
	24 अप्रैल 2023	भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री बी. पी. कानूनगो की अध्यक्षता में विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
	-	तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से प्राप्त शिकायतों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई लोकपाल के दो नए कार्यालय चेन्नई (17 अप्रैल 2023 से प्रभावी) और कोलकाता (1 जून 2023 से प्रभावी) में स्थापित किए गए थे।

वर्ष	तिथि	विषय
2023-24	29 दिसंबर 2023	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023 आईओ तंत्र पर विभिन्न आरई पर लागू निर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए जारी किए गए थे।
	5 फरवरी 2024	रिज़र्व बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) पर आरई के ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए दो और स्थानों, यथा - भुवनेश्वर और कोच्चि में अत्याधुनिक संपर्क केंद्रों का संचालन किया गया। नए केंद्र व्यापार निरंतरता और आपदा से उबरने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। चंडीगढ़ में मौजूदा संपर्क केंद्र को अपग्रेड किया गया था।
	15 मार्च 2024	तीसरी जागरूकता पुस्तिका 'द अलर्ट फैमिली' मार्च 2024 में आरम्भ की गई थी। पुस्तिका वित्तीय धोखाधड़ी पर जनता को मार्गदर्शन प्रदान करती है और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं के बारे में गलत धारणाओं को दूर करती है।
	-	सीएमएस प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से दृष्टिबाधित उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए अतिरिक्त ऑडियो कैंच्वा कार्यक्षमता के साथ बढ़ाया गया था।
	-	सीएमएस में रहने वाले संचार टेम्पलेट्स की पठनीयता में काफी सुधार हुआ जिससे बेहतर समझ और अधिक सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव हुआ।
2024-25	17 जनवरी 2025	धोखेबाजों द्वारा मोबाइल नंबरों के संभावित दुरुपयोग को कम करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं को 'वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम - विनियामक नुस्खे और संस्थागत सुरक्षा उपाय' विषय पर एक परिपत्र जारी किया गया था।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग		
2023-24	28 मई 2024	खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति लेनदेन करने में आसानी और पहुंच में सुधार के उद्देश्य से 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' मोबाइल एप्लिकेशन आरम्भ किया गया। मोबाइल एप्लिकेशन, एप्लिकेशन के प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार मॉड्यूल के बीच सहज नेविगेशन के लिए एकल साइन-ऑन सुविधा प्रदान करता है।
	28 फरवरी 2025	निवेशकों को लेनदेन को पूर्व-अधिकृत करने तथा प्राथमिक नीलामियों में बोलियां लगाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार डेबिट आरंभ करने के लिए अपने खातों में धनराशि को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) एकल-ब्लॉक-और-एकल-डेबिट भुगतान मोड (यूपीआई मेंडेट) को आरम्भ किया गया।
मुद्रा प्रबंध विभाग		
2022-23	21 सितंबर 2022	1 जनवरी 2020 को आरम्भ किए गए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (एमएनआई) ऐप की पहुंच को ऑडियो नोटिफिकेशन के जरिए बैंक नोटों की पहचान के लिए विस्तारित किया गया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 और भाषाएँ शामिल की गई हैं। इस ऐप को आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा भी उपयोग के लिए सक्रिय बनाया गया है।
	-	ग्राहक सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, एसएमएस, एफएम रेडियो और डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) के माध्यम से 'बैंक नोटों के आदान-प्रदान' पर एक अभियान शुरू किया गया था।
	-	संचलन में एक ही मूल्यवर्ग के विभिन्न डिज़ाइनों के सिक्कों पर भ्रातियों और आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रिंट और रेडियो मीडिया के माध्यम से अभियान चलाए गए।
2023-24	1 अप्रैल 2023	जनता के लिए लेनदेन को आसान बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न मूल्यवर्ग में सिक्कों के पैकेट, जैसे- ₹50, ₹100, ₹150, आदि शुरू किए।

ग्राहक केंद्रित उपाय

वर्ष	तिथि	विषय
2023-24	1 फरवरी 2024	1 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई मोबाइल सिक्का वाहन (एमसीवी) योजना को फरवरी 2024 से पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कम मूल्यवर्ग के नोटों, जो प्रचलन के लिए अनुपयुक्त हैं, के विनियम की सुविधा के लिए सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया गया है।
	-	'मणि' ऐप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आकाशवाणी/विविध भारती/निजी एफएम रेडियो चैनलों के माध्यम से अखिल भारतीय रेडियो अभियान चलाया गया, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सहायता करता है।
	-	प्रचलन में मौजूद नोटों की गुणवत्ता के बारे में लोगों के बीच धारणा को समझने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किए गए पहला सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान देश के चुनिंदा राज्यों में किया गया, उसके बाद 2023-24 के दौरान एक और अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया।
2024-25	-	संरक्षित नीति निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर फीडबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से, करेंसी चेस्ट (सीसी) रखने वाले बैंकों के नोडल अधिकारियों और वर्टिकल प्रमुखों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिससे हितधारकों के साथ विचारों के दो-तरफा आदान-प्रदान की सुविधा मिली, जिससे करेंसी प्रबंधन क्षेत्र और बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को लाभ हुआ।
	-	प्रमुख सीसी रखने वाले बैंकों के साथ निगरानी बैठकें आयोजित की गईं जिसमें समस्याओं/चिंताओं, रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन; और परिचालन एवं अनुपालन संबंधी मुद्दों के समाधान पर चर्चा की गई।
	-	लोगों के बीच सिक्कों के बारे में गलत सूचना को दूर करने के लिए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और आकाशवाणी (एआईआर) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए। रिजर्व बैंक ने आकाशवाणी के माध्यम से 'मणि' ऐप पर भी जागरूकता अभियान चलाया। इसके अलावा, गंदे नोटों के लिए विनियम सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग		
2022-23	2 अप्रैल 2022	नेपाल में रुपे कार्ड की स्वीकृति शुरू की गई।
	19 मई 2022	एटीएम में अंतर-परिचालन कार्ड-रहित नकद आहरण (इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश विदड्रॉल) को सक्रिय किया गया था।
	16 जून 2022	ई-मैंडेट रूपरेखा के कार्यान्वयन और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा पर, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की छूट की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति लेनदेन कर दी गई।
	10 फरवरी 2023	भारत आने वाले जी20 देशों के विदेशी नागरिकों को यूपीआई का उपयोग करने के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति दी गई थी।
	21 फरवरी 2023	रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित तेज भुगतान प्रणाली (एफपीएस), यूपीआई और पेनाउ के लिंकेज का संचालन किया, जिससे दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को पारस्परिक आधार पर तत्काल और कम लागत वाली सीमा-पार पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) भुगतान करने में सक्रिय बनाया गया।
	6 मार्च 2023	मिशन 'हर भुगतान डिजिटल' शुरू किया गया।
2023-24	7 जून 2023	व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के दायरे का विस्तार किया गया।
	24 अगस्त 2023	ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों के लिए लेनदेन सीमा बढ़ा दी गई।
	31 अक्टूबर 2023	'भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - सीमा-पार' विषय परिपत्र जारी किया गया।

वर्ष	तिथि	विषय
	12 दिसंबर 2023	ई-मैडेन फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना किए गए बाद के आवर्ती लेनदेन की सीमाएं निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए बढ़ा दी गईं।
	20 दिसंबर 2023	कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सक्रिय किया गया था।
	1 फरवरी 2024	फ्रांस में व्यापारी भुगतान (ई-कॉमर्स) के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई की स्वीकृति शुरू की गई थी।
	12 फरवरी 2024	भारत और मॉरीशस के बीच रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी और भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई कनेक्टिविटी शुरू की गई।
	23 फरवरी 2024	पीपीआई पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया।
	29 फरवरी 2024	'भारत बिल भुगतान प्रणाली' पर मास्टर निदेश जारी किया गया।
	6 मार्च 2024	'क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था' पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
	8 मार्च 2024	नेपाल में व्यापारी भुगतान के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई की स्वीकृति लाइव हो गई।
2024-25	22 अगस्त 2024	आवर्ती लेनदेन के लिये ई-मैडेन की प्रोसेसिंग – फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की स्वतः पुनःपूर्ति की शुरुआत की और ई-मैडेन के माध्यम से इस तरह की स्वतः पुनःपूर्ति के लिये पूर्व-डेबिट की सूचना।
	11 अक्टूबर 2024	दिव्यांगों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच की सुविधा हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
	4 दिसंबर 2024	यूपीआई लाइट लेनदेन के लिए बढ़ी हुई सीमा प्रदान करने के लिए 'ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए रूपरेखा' में संशोधन किया गया।
	27 दिसंबर 2024	तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन के माध्यम से पीपीआई के लिए यूपीआई पहुँच को सक्रिय किया गया।
	30 दिसंबर 2024	तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के लिए लाभार्थी बैंक-खाता नाम अवलोकन (लुक-अप) सुविधा शुरू की गई थी।

-: लागू नहीं (सतत प्रकृति का)